मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना से संबंधित "Frequently asked questions" (FAQ)

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1	मैं गरीब हूँ, लेकिन बीपीएल सूची में मेरा नाम शामिल नहीं हो पाया। क्या मुझे इस योजना का लाभ मिल सकता है?	मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत बीपीएल परिवारों के अलावा निम्न वर्णित श्रेणी के परिवारों/व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है – • स्टेट बीपीएल परिवार • आस्था कार्डधारी परिवार • अंत्योदय परिवार • एचआईवी/एड्स मरीज • वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेन्शनधारी • अंत्योदय अन्न योजना में चयनित सहरिया परिवार के लाभार्थी • अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी • कथौड़ी जनजाति के परिवार • मेहरानगढ़ दुर्ग दुखांतिका जोधपुर में मारे गये अथवा स्थायी रुप से निःशक्त व्यक्तियों के आश्रित माता–पिता सहित परिजन • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित तथा अनुमोदित अनाथालयों (Hostels) में निवास कर रहे अनाथ बच्चे, राज्य सरकार द्वारा संचालित तथा अनुमोदित विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत शारीरिक रुप से विकलांग तथा मानसिक रुप से विमंदित बच्चे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महिला सदनों में निवासरत महिलाएं • थैलेसिमिया व हिमोफिलिया रोग के उपचार हेतु प्रदेश के थैलेसिमिया व हिमोफिलिया के समस्त रोगी • नवजीवन योजना के समस्त लाभार्थी परिवार • राज्य की भोपा, बागरिया, बंजारा, गडिया–लोहार, कंजर, सांसी, नट, मेव, मिरासी, जागा, जोगी, वाल्मिकी–हरिजन, रेबारी, मदारी, अल्लीशाह, सपेरा, रायसिख, भिस्ती आदि जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक रुप से अत्यन्त पिछड़े हुए ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये तक है • जयपुर बम ब्लास्ट–2008 में मारे गये व्यक्तियों के आश्रित परिवारजन एवं गंभीर रुप से घायल व्यक्ति • राज्य के बारां जिले की खैरवा जाति (पिछड़ा वर्ग) के समस्त परिवार। • इसके अतिरिक्त प्रदेश के बीपीएल स्टेट बीपीएल एवं अंत्योदय परिवारों की निःसंतान दंपत्तियों के यदि इलाज से संतान हो सकती है तो उसका खर्च सरकार द्वारा योजना के तहत वहन किया जायेगा।

		• बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अंत्योदय परिवारों के हार्ट, कैंसर एवं किडनी रोगियों को ईलाज हेतु चिन्हित निजी चिकित्सालयों में ईलाज करवाने पर प्रति रोगी अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता चिन्हित निजी चिकित्सालयों को उपलब्ध करवाई जायेगी।
2	मैं बीपीएल नहीं हूँ परन्तु मैं वाल्मिकी –हरिजन समुदाय से हूँ तथा मेरे परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपयें तक है। क्या मुझे इस योजना का लाभ मिलेगा?	जी, हॉ। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 की बजट घोषणा में पिछडे समुदायों के पिछडे परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रूपयें तक है को भी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। योजना के तहत वाल्मिकी हरिजन समुदाय के अलावा भोपा, बागरिया, बंजारा, गडिया–लौहार, कंजर, सांसी, नट, मेव, मिरासी, जागा, जोगी, रेबारी, मदारी, अल्लीशाह, सपेरा, रायसिख, भिस्ती इत्यादि के अत्यन्त पिछड़े परिवारों को भी शामिल किया गया हैं ।
3	मैं बीपीएल श्रेणी में आता हूँ, क्या इस योजना का लाभ मेरे वृद्ध माता–पिता और बच्चों को मिल पायेगा?	आपके पास जो बीपीएल कार्ड है उसमें परिवार के जिन सदस्यों का नाम लिखा हुआ है उनको ही इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
4	मेरा नवजात शिशु गंभीर रोग से ग्रस्त है, उसका नाम मेरे राशन कार्ड में नहीं है। बीपीएल होने के नाते उसे इस योजना का लाभ किस प्रकार मिल सकता है?	राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.19(2)चिस्वा/2/2009, दिनांक 05.02.2009 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि नवजात शिशु का नाम बीपीएल कार्ड में नहीं होने पर परिवार के मुखिया द्वारा निर्धारित प्रारुप में घोषणा पत्र दिये जाने पर इस योजना में नवजात शिशु का निःशुल्क इलाज किया जायेगा।
5	मैं बीपीएल श्रेणी में हूँ, लेकिन मेरा बीपीएल कार्ड कहीं गुम हो गया, ऐसे में मैं इस योजना का लाभ किस प्रकार उठा सकता हूँ?	बीपीएल कार्ड गुम हो जाने की स्थिति में आपके पास जो नरेगा कार्ड /आस्था कार्ड/राशन कार्ड इनमें से कोई भी एक है उसे आप बीपीएल काउण्टर पर कार्यरत कर्मचारी को बतावें ताकि ऑनलाईन सूची से आपके नाम का मिलान कर निःशुल्क चिकित्सा दिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उचित यही होगा कि आप अपना नया बीपीएल कार्ड संबंधित कार्यालय से अतिशीघ्र तैयार करावें।
6	मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत हम किन–किन रोगों का उपचार करवा सकते हैं?	मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत समस्त रोगों का निःशुल्क उपचार किया जाता है।
7	मैं गरीब हूँ। 1997 की बीपीएल सूची में मेरा नाम था, लेकिन नई बीपीएल सूची में मेरा नाम शामिल नहीं हो पाया। क्या मुझे इस योजना का लाभ मिलेगा?	जी हाँ, वर्ष 1997 की बीपीएल सूची में जिन लोगों का नाम था किन्तु नई बीपीएल सूची में उन लोगों का नाम नहीं है उन्हें भी मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत दवाईयाँ, समस्त जाँच, इम्प्लांटस तथा रैफर किये जाने की स्थिति में परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है।
8	निःशुल्क उपचार से क्या तात्पर्य है? क्या बीपीएल मरीज को जाँच और दवाईयाँ भी निःशुल्क मिलेंगी?	मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत दवाईयाँ, समस्त जाँच एवं इम्प्लांटस निःशुल्क उपलब्ध करवाये जाते हैं।

9	बीपीएल होते हुए भी कई बार मुझे यह कहते हुए दवा लाने की पर्ची थमा दी जाती है कि ये दवाईयाँ या उपकरण अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिये?	राजकीय चिकित्सालय द्वारा ही आपको डॉक्टर द्वारा लिखी गई समस्त दवाईयाँ एवं इम्प्लांटस निःशुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे।
10	मैं बीपीएल श्रेणी में आता हूँ। अचानक मैं गंभीर रुप से घायल हो जाता हूँ। आपातकालीन स्थिति में मुझे निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ऐसे में क्या मुझे इस योजना का लाभ मिलेगा।	जी नहीं, इस योजना का लाभ केवल राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है।
11	उपचार के समय यदि मुझे इम्प्लांट या कृत्रिम अंग लगवाया जाना है तो क्या वह अंग या इम्प्लांट भी मुझे इस योजना के तहत लगवाया जाएगा?	जी हाँ, आवश्यकता होने पर आपको इम्प्लांट या कृत्रिम अंग निःशुल्क लगाया जायेगा।
12	मैं बीपीएल श्रेणी का मरीज हूँ, यदि मुझे अस्पताल से उच्चतर अस्पताल के लिये रैफर किया जाता है तो क्या मुझे वाहन खर्चा इस योजना के तहत दिया जायेगा? या फिर अस्पताल प्रबंधन मुझे उच्चतर अस्पताल में भेजने की व्यवस्था करेगा?	इस योजना के तहत अस्पताल प्रबंधन आपको उच्चतर अस्पताल में भिजवाने की निःशुल्क व्यवस्था करेगा।
13	मुझे कैंसर, हार्ट फैल या वॉल्व खराब जैसी गंभीर बिमारी हो गई है। मैं बीपीएल श्रेणी का आदमी हूँ और मेरा उपचार दिल्ली या मुंबई के बडे अस्पताल में होना है। मुझे इस योजना के तहत क्या सरकार यह उपचार मुफ्त में करवायेगी?	इस योजना के तहत संबंधित मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय जिसमें मरीज भर्ती है उसके द्वारा यह उचित समझा जाता है कि मरीज का इलाज राज्य के बाहर होगा तो ऐसी स्थिति में एम्स, नई दिल्ली या पीजीआई, चंडीगढ़ में मरीज को इलाज हेतु भिजवाया जाता है। इन दोनों चिकित्सालयों में जो भी खर्चा होता है उसका भुगतान मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत किया जाता है।
14	मुझे एमआरआई जैसी महंगी जाँच करवानी है और यह सुविधा हमारे आस–पास किसी चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मुझे क्या लाभ मिल सकता है?	मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत डॉक्टर द्वारा प्रेसक्राईब करने पर ही एमआरआई जाँच हो सकती है। इस योजना में आने वाली श्रेणी के मरीजों की निःशुल्क एमआरआई जाँच की जावेगी।
15	मैं बीपीएल रोगी हूँ। अस्पताल की दवाईयाँ सस्ती और निम्न श्रेणी की आने के कारण बाहर से दवा खरीदना चाहता हूँ। क्या मुझे इस योजना के तहत बाहर से दवा खरीदने के लिये पैसा मिल सकता है?	अस्पताल की दवाईयाँ न तो सस्ती होती है और न ही निम्न श्रेणी की होती है। मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत दवा खरीदने हेतु कोई नगद राशि का भुगतान मरीज को नहीं किया जाता है।

16	मैं गाँव का अनपढ़ बीपीएल किसान हूँ। निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टर मेरा निःशुल्क इलाज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिये?	मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत प्रत्येक बीपीएल काउण्टर पर एक शिकायत/सुझाव बॉक्स लगाया गया है। इस बॉक्स में कोई भी शिकायत/सुझाव लिखकर डाल सकते हैं जिस पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।
17	मैं गंभीर बीमारी से ग्रस्त हूँ। मेडिकल कॉलेज में मेरा लम्बे समय तक इलाज होना है। क्या इस योजना के तहत मुझे कॉटेज वार्ड जैसी सुविधाएं मुफ्त में मिल सकती हैं?	मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में जहाँ इलाज चल रहा है यदि उनके द्वारा यह उचित समझा जाता है कि वो आपको कॉटेज वार्ड में रखें तो ऐसी स्थिति में आपको कॉटेज वार्ड की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी।
18	मैं सरकारी अस्पताल के किसी चिकित्सक को घर पर दिखाने जाता हूँ। बीपीएल होने के नाते क्या उस चिकित्सक को मुझे परामर्श शुल्क नहीं देना चाहिये?	मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत जहाँ तक संभव हो आपको चिकित्सालय में ही चिकित्सक को दिखाना चाहिये। घर पर दिखाने पर यदि चिकित्सक द्वारा आपसे परामर्श शुल्क लिया जाता है तो उसका भुगतान आपको इस योजना के तहत नहीं किया जायेगा।
19	आपात स्थिति में यदि किसी वाहन से बीपीएल रोगी को अस्पताल पहुँचाया जाता है, या प्राथमिक उपचार के तौर पर कुछ पैसा खर्च हो जाता है तो इस योजना के तहत क्या उस राशि का पुनर्भरण कर दिया जायेगा?	मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत किसी प्रकार की नगद राशि का ना तो भुगतान किया जाता है एवं ना ही खर्च की गई राशि का पनुर्भरण किया जाता है।
20	मैं राज्य से बाहर यात्रा पर जाता हूँ, वहाँ मुझे आपात स्थिति में उपचार करवाना पड़ता है या किसी गंभीर रोग का इलाज वहीं करवाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में मुझे इस योजना का लाभ मिलेगा?	मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत राज्य के बाहर इलाज करवाने पर इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
21	क्या कोई मरीज बिना रैफर हुए योजना के अन्तर्गत, एम्स, नई दिल्ली या पीजीआई, चंडीगढ़ में निःशुल्क उपचार करा सकता है?	जी नहीं, कोई मरीज बिना रैफर हुए योजना के अन्तर्गत एम्स, नई दिल्ली या पीजीआई, चंडीगढ़ में निःशुल्क इलाज नहीं करा सकता है।
22	सरकारी अस्पताल में लम्बी प्रतीक्षा सूची होने की स्थिति में किन्हीं निजी अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है?	सरकारी अस्पताल में लम्बी प्रतीक्षा सूची होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित 51 निजी चिकित्सालयों में इलाज करवाया जा सकता है। बशर्ते कि संबंधित मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय द्वारा उस चिकित्सालय में रैफर किया गया हो। इसके अतिरिक्त हार्ट, किडनी एवं कैंसर रोग से पिड़ित होने पर जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदित चिन्हित चिकित्सालयों में रैफर किया जाता है तो 1.00 लाख रुपये तक का निःशुल्क ईलाज निजी चिकित्सालय में करवाया जा सकता है। 1.00 लाख रुपये से अधिक का जो खर्च होगा वह मरीज को भुगतान करना होगा।

23	क्या उपचार के खर्च की कोई अधिकतम सीमा है?	इस योजना में उपचार किये जाने के खर्च की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।
24	चिकित्सक द्वारा बताई गई जाँचें स्वास्थ्य संस्था में उपलब्ध न होने की स्थिति में क्या करना होगा?	इस योजना में चिकित्सक द्वारा बताई गई जाँचें चिकित्सालय में उपलब्ध न होने की स्थिति में चिकित्सालय द्वारा जिस संस्था से रेट कॉन्ट्रेक्ट किया गया है उस संस्था में निःशुल्क जाँच की जावेगी।
25	क्या राज्य में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत लोगों को लाभ मिल रहा है?	जी, हॉ। प्रदेशवासियों को इस योजना का लाभ 1 जनवरी, 2009 से मिल रहा है।
26	क्या राज्य के लोगों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना एवं इसके अन्तर्गत दी जा रही सुविधाओं की जानकारी है?	जी, हॉ। योजना के संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।
27	क्या बी.पी.एल. व अन्य सभी श्रेणियां जो इनमें सम्मिलत हैं, उन्हें दवाईयां एवं ऑपरेशन इत्यादि की सुविधा मिल रही है?	जी, हॉ । योजना के तहत समस्त दवाईयॉ, जॉचें, इम्प्लाटस्, सर्जीकल प्रोसिजर व रैफरल मामलों में यातायात सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं।
28	क्या निःशुल्क दवा योजना आने के बाद मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष की उपयोगिता कम हुई है?	जी नहीं। योजना के तहत न केवल आवश्यक मैडिसन (जैनेरिक) उपलब्ध करायी जा रही है बल्कि जैनेरिक मेडिसन उपलब्ध नहीं होने पर जीवन रक्षक समस्त दवाईयॉ (ब्रांडेड मेडिसन सहित) समस्त जॉचें, इम्प्लाटस्, सर्जीकल प्रोसिजर बिना किसी खर्च सीमा के निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। परिणाम स्वरूप दिन प्रतिदिन योजना की मरीजो द्वारा मौखिक प्रचार–प्रसार (माउथ पब्लिसिटी) होने की वजह एवं राज्य सरकार द्वारा बीपीएल, स्टेट बीपीएल, नवजीवन योजना के लाभार्थियों के अलावा, पिछडे समुदायों के पिछडे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रूपयें तक को भी शामिल करने से योजना का महत्तव बढ़ा है।